

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में प्रूफरीडर के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-स्था. (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में प्रूफरीडर के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/टिप्पणी
1.	पद का नाम	प्रूफरीडर	प्रूफ रीडर	कोई परिवर्तन नहीं
2.	पदों की संख्या	1	1* (कार्य-भार की विभिन्नता पर निर्भर है)	कोई परिवर्तन नहीं
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा वर्ग-III, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पद को डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार समूह 'ग' वर्ग में रखा गया है।
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	110-4-150-ईबी-4-170-5-180-ईबी-5-200 (दूसरा के.वे.आ.) 260-8-300-ईबी-8-340-10-380-ईबी-5-10-430 (तीसरा के.वे.आ.) 975-25-1150-ईबी-30-1540- (चौथा के.वे.आ.) एस6 3200-85-4900 (पांचवां के.वे.आ.) पीबी-1, जीपी: 2000 (छठा के.वे.आ.)	पे मैट्रिक्स का लेवल- 3 (रु. 21700)	वेतनमान को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं तथा सीसीएस (आरपी) नियमावली के अनुसार बदला गया है।
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	18-30 वर्ष	18-25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 5 वर्षों तक शिथिलनीय) टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख वह होगी जो भारत के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा का.ज्ञ.सं.एबी-14017/6/2006-स्था. (आरआर) में डीओपीटी के दिशानिर्देश के अनुसार जिसमें अहता मैट्रिक है। आयु सीमा 18 और 25 वर्ष है।

			मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख)	
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	(i) मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष (ii) सरकारी अथवा प्रतिष्ठित निजी प्रैस में हिंदी व अंग्रेजी में प्रूफरिडिंग का 3 वर्ष का अनुभव	1. मैट्रिकुलेशन सहित सरकारी अथवा प्रतिष्ठित निजी प्रैस में हिंदी व अंग्रेजी में प्रूफरिडिंग का 3 वर्ष का अनुभव अथवा 2.आईटीआई उत्तीर्ण* * प्रूफरीडर पद हेतु 'प्रूफरीडिंग' अथवा लेटर प्रेस मशीन माईडर' में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा सहित।	शैक्षणिक अर्हता सीआईपी रांची द्वारा प्रस्तावित है।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	लागू नहीं	लागू नहीं	यह कॉलम लागू नहीं है क्योंकि यह पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	2 वर्ष	डीओपीटी दिशा- निर्देश के अनुसार, सीधी भर्ती हेतु परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की होगी।

10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100%सीधी भर्ती द्वारा	100%सीधी भर्ती द्वारा	सीआईपी, रांची ने इस पद की सीधी भर्ती के द्वारा भरने का प्रस्ताव किया है। सीआईपी द्वारा प्रोन्नति चैनल नहीं बताया गया है। डीओपीटी के का.जा.ए.बी- 14017/13/2013- स्था.(आरआर) के अनुसार क्रमिक स्तर व पृथक पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती से बचा जाए। प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित)/प्रोन्नति की समग्र पद्धति वहां विनिर्दिष्ट होनी चाहिए जहां केवल एक पद की प्रोन्नति हो। यह सीधी भर्ती का पद है प्रोन्नति से नहीं भरा जाता है।
11.	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियु क्ति/आमेलन किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं।	यह कॉलम लागू नहीं है क्योंकि यह पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं	विभागीय स्थायीकरण समिति: 1. निदेशक (सीआईपी) - अध्यक्ष 2. चिकित्सा अधिकारी- सदस्य 3. प्रशासनिक अधि. - सदस्य	पुष्टि हेतु डीसीसी अनिवार्य है।
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों	लागू नहीं	लागू नहीं।	यह कॉलम समूह 'ग' पद हेतु डीओपीटी

	मैं संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।		दिशानिर्देशों के अनुसार लागू नहीं होगा।
--	--	--	---